भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. \*3**

17.07.2017 को उत्‍तर के लिए

**पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाज़ार का विनियमन)**

**नियम, 2017 को तैयार किया जाना**

\*3. श्री रिपुन बोराः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाज़ार का विनियमन) नियम, 2017 दिनांक 23 मई, 2017 तैयार करते समय किन्हीं हितार्थियों के साथ परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो हितार्थियों के साथ परामर्श न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विधि और न्याय मंत्रालय ने नियमावली की जांच की है;

(घ) क्या सरकार को नियमावली के संबंध में कोई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियमावली को रद्द करने अथवा उसमें संशोधन करने का विचार रखती है; और

(ङ) संसद की दोनों सभाओं के पटल पर उक्त नियमावली को कब रखा गया था अथवा उसे कब रखे जाने का विचार है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**

**(डॉ. हर्ष वर्धन)**

(क), (ख), (ग), (घ) और (ड.): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाज़ार का विनियमन) नियम, 2017 को तैयार किये जाने के संबंध में दिनांक 17.07.2017 को उत्‍तर के लिए श्री रिपुन बोरा द्वारा पूछे गए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 3 के भाग (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण ।**

1. और (ख) : पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाज़ार का विनियमन) नियम, 2017 को अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन से पहले, भारत के राजपत्र में दिनांक 16 जनवरी, 2017 को अधिसूचित किया गया था और इसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले सभी व्‍यक्तियों से अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के अंदर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। दिनांक 23.05.2017 को इन नियमों को अंतिम रूप से अधिसूचित किए जाने से पहले 13 अभ्‍यावेदन/सुझाव प्राप्‍त हुए थे जिन पर विधिवत विचार किया गया था।

(ग) : इन नियमों की विधि और न्‍याय मंत्रालय द्वारा विधिवत पुनरीक्षा की गई थी।

(घ) और (ड.) : दिनांक 23 मई, 2017 की अंतिम अधिसूचना जारी होने के पश्‍चात इन नियमों के संबंध में सरकार को कुछ आपत्तियां प्राप्‍त हुई थी।

*ऑल इंडिया जमाईतुल कुरेश एक्‍शन कमेटी मार्फत अध्‍यक्ष, मोहम्‍मद अब्‍दुल फहीम, अधिवक्‍ता बनाम भारत संघ* नामक वाद में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय में वर्ष 2017 की रिट याचिका (सिविल) सं.000422 दायर की गई थी। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने अपने दिनांक 11.07.2017 के आदेश में टिप्‍पणी की है कि मद्रास उच्‍च न्‍यायालय की मदुरै खंड पीठ के रिट याचिका (एमडी) सं. 7769 और 7771 और 10128 और 10129 में दिए गए दिनांक 30.05.2017 के आदेश द्वारा नियमों को लागू करने पर लगी रोक समूचे देश पर लागू होगी। इस प्रकार, भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2017 की अधिसूचना को लागू करने पर रोक लगा दी गई है।

माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने यह टिप्‍पणी करते हुए इस मामले का निपटान किया है कि ''वर्तमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को मामले की जानकारी है और समुचित निर्णय के पश्‍चात संशोधित नियमों को परिवर्तन, यदि कोई हो, के साथ पुन: अधिसूचित किया जाएगा।

हमारा यही मत है और तदनुसार हम निदेश देते हैं कि जब भी संशोधित नियम अधिसूचित किए जाएं, उनको लागू करने से पूर्व सभी हितार्थियों को पर्याप्‍त समय प्रदान किया जाए ताकि, यदि वे असंतुष्‍ट हों, तो उनके पास उस पर विधि के अनुरूप विरोध प्रकट करने के लिए पर्याप्‍त अवसर हों।

\*\*\*\*\*\*\*